

भारत में राजकोषीय केंद्रीकरण संबंधी चिताएँ

यह एडिटोरियल 07/02/2024 को 'द हिंदू' में प्रकाशित ["Union government's reins on financial transfers to States"](#) लेख पर आधारित है। इसमें पड़ताल की गई है कि किसी प्रकार केंद्र सरकार के कदम, जो राज्यों के लिये कुल वित्तीय हस्तांतरण को कम करते हैं, देश में राजकोषीय-सह-सहकारी संघवाद को कमज़ोर कर रहे हैं।

प्रलिमिस के लिये:

वित्त आयोग, वस्तु एवं सेवा कर (GST), GST परिषद, एकीकृत जीएसटी, ऊर्धवाधर और क्षैतिजि हस्तांतरण, इनपुट टैक्स क्रेडिट, अनुच्छेद 275, GST मुआवजा।

मेन्स के लिये:

उन उपायों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है जिनके माध्यम से भारत अपने वित्तीय संघवाद को मज़बूत कर सकता है।

14वें **वित्त आयोग (FC)** की अनुशंसा अवधि (2015-16) की शुरुआत के बाद से केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण में कमी कर रही है। यह इस प्रसंग में विशेष रूप से अजीब है कि 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय कर राजस्व का 42% राज्यों को हस्तांतरण करने की अनुशंसा की है, जो कि 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा से स्पष्ट रूप से 10% अंक वृद्धि को प्रकट करता है।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख (जिन्हें [केंद्रशासित प्रदेशों](#) के रूप में पुनः वर्णित किया गया है) को किये जाने वाले हस्तांतरण को छोड़कर, 15वें वित्त आयोग ने 41% की इस अनुशंसा को बरकरार रखा है। यदि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हस्तियों को भी शामिल किया जाए तो यह 42% होगा। केंद्र सरकार ने न केवल राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण में कमी की है बल्कि अपने विकासीय विकासीय कार्यों के लिये अपने कुल राजस्व में भी वृद्धि की है।

राजकोषीय संघवाद:

- राजकोषीय संघवाद (Fiscal federalism)**: शब्द यह प्रकट करता है कि किसी देश में सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच वित्तीय शक्तियों और उत्तरदायितिवाँ को किसी प्रकार विभाजित किया जाता है।
- इसमें ऐसे प्रश्न शामिल हैं, जैसे केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा कौन-से कार्य एवं सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिये, राजस्व कैसे बढ़ाया जाना चाहिये एवं उनके बीच कैसे साझा किया जाना चाहिये और दक्षता एवं समानता सुनिश्चित करने के लिये हस्तांतरण या अनुदान किसी प्रकार आवंटित किया जाना चाहिये।

केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों के विषय में विभिन्न उपबंध:

- संविधान का भाग XII**: भारतीय संविधान ने करों के वितरण के साथ-साथ गैर-कर राजस्व और उधार लेने की शक्ति से संबंधित विस्तृत उपबंध किये हैं। इनके साथ ही राज्यों को संघ द्वारा सहायता अनुदान के संबंध में भी उपबंध किये गए हैं। **अनुच्छेद 268 से 293** केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के उपबंधों से संबंधित हैं।
 - अनुच्छेद 275 के तहत उपबंधित सहायता अनुदान**: प्रणाली में विशिष्ट उद्देश्यों या योजनाओं के लिये केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को धन का विकासीय हस्तांतरण शामिल है।
 - वित्त आयोग **अनुच्छेद 280** के तहत एक संवेदानकि निकाय है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच कर राजस्व के वितरण की अनुशंसा करने के लिये उत्तरदायी है। यह राज्यों के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने, राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देने और राजकोषीय मामलों में स्थिरता सुनिश्चित करने के उपाय भी सुझाता है।
 - वित्त आयोग संविधान के **अनुच्छेद 280(3)** के तहत राज्यों को करों के हस्तांतरण और सहायता अनुदान की अनुशंसा करने के अलावा केंद्र के कहने पर 'सुदृढ़ वित्त के हति में' किसी अन्य मुद्दे पर भी विचार कर सकता है।
- संविधान की सातवीं अनुसूची**: संविधान केंद्र और राज्यों के बीच कर अधिकारों की शक्तियों को नियन्त्रित प्रकार से विभाजित करता है:
 - संसद को **संघ सुची** में शामिल विषयों पर कर लगाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है।
 - राज्य विधानमंडल के पास **राज्य सुची** में सूचीबद्ध विषयों पर कर लगाने की अनन्य शक्ति है।

- समवर्ती सूची में उल्लंघित विषयों पर दोनों ही कर लगा सकते हैं, जबकि किराधान की अवशिष्ट शक्ति केवल संसद के पास है।

केंद्र सरकार के कनि कदमों से राज्यों को कुल वित्तीय हस्तांतरण में कमी आई है?

- **राजकोषीय शक्तियों का बढ़ता केंद्रीकरण :**
 - समय के साथ, केंद्र सरकार को प्राप्त होने वाले गैर-साझा करने योग्य राजस्व (non-shareable revenue), जैसे अधिभार एवं उपकरण (surcharges and cesses) का अनुपात बढ़ गया है।
 - इसके परिणामस्वरूप, राज्य वृहत राजकोषीय स्वायत्तता की ओर केंद्र द्वारा संग्रहति सभी करों में बड़ी हसिसेदारी की विकालत कर रहे हैं।
- **राज्य कर स्वायत्तता का क्षरण:**
 - राज्यों की अपने राजस्व स्रोतों पर कर दरें नियंत्रित करने की क्षमता व्यापक रूप से कम हो गई है। वस्तुओं के अंतर-राज्य व्यापार के लिये मूल्यवर्द्धिति कर (value-added tax- VAT) के कारबान्वयन के बाद यह क्षरण हुआ।
 - परिणामस्वरूप, राज्यों को कर नीतियों और राजस्व सृजन रणनीतियों के नियंत्रण में स्वायत्तता की हानिका अनुभव हुआ है।
- **राज्य व्यय संबंधी लचीलेपन में बाधाएँ:**
 - सशर्त और आबंध अनुदानों की बढ़ती प्रमुखता के कारण राज्यों को अपने व्यय लचीलेपन में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
 - ये अनुदान, जो राज्य सूची में सूचीबद्ध वस्तुओं को लक्षित करते हैं, उनकी विशिष्ट प्राथमिकताओं और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार धन आवंटित करने में राज्यों की विकालत की सीमति करते हैं।
- **राज्य भनिनताओं की उपेक्षा करते हुए समान राजकोषीय लक्ष्य:**
 - राजकोषीय उत्तरवायतिव और बजट प्रबंधन (Fiscal Responsibility and Budget Management- FRBM) अधिनियम, 2003 से उत्पन्न चुनौतियाँ सभी राज्यों पर समान राजकोषीय लक्ष्य (Uniform Fiscal Targets) लागू कर स्थितिको और खराब कर देती हैं।
 - ये लक्ष्य अलग-अलग राज्यों की विविध राजकोषीय आवश्यकताओं और आरथकि स्थितियों को ध्यान में रखने में वफ़िल रहते हैं, जिससे अपने वित्त को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की उनकी क्षमता सीमति हो जाती है।
- **वस्तु एवं सेवा कर (GST) का कारबान्वयन:**
 - 101वाँ संविधान संशोधन, जो संघ और राज्यों को अपरत्यक्ष कराधान की समवर्ती शक्तियाँ प्रदान करता है, वर्ष 1951 में पहले वित्त आयोग की स्थापना के बाद से राजकोषीय दृष्टिकोण से सबसे दूरगामी परविरतन है।
 - उस राज्य में अपरत्यक्ष करों का संग्रह जहाँ वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग किया जाता है, न किसी राज्य में जहाँ उनका उत्पादन किया जाता है, संघवाद की ऊर्धवाधर एवं क्षेत्रजि दोनों गतशीलता को बदल देता है।
 - कर का बोझ अमीर और वनिस्मिता राज्यों से उपभोक्ता राज्यों पर स्थानांतरित कर दिया गया है, जिससे क्षेत्रजि असंतुलन पैदा हो गया है।
 - उदाहरण के लिये, एकीकृत जीएसटी (Integrated GST), जो वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर-राज्य आपूर्ति पर लगाया जाता है, गंतव्य राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। उत्पत्तिके संदिधान से गंतव्य के संदिधान की ओर यह कदम राज्यों के बीच शक्तिसंतुलन को फरि से स्थापति कर रहा है।




//

सभी केंद्रीय करों में राज्यों की हसिसेदारी के वितरण के लिये मानदंड (11वें से 14वें वित्त आयोग के बीच)

राज्यों को राजकोषीय हस्तांतरण का वर्तमान परदृश्य क्या है?

- सकल कर राजस्व में घटती हसिसेदारी:
 - यदयपौ 4वें और 15वें वित्ती आयोग ने शुद्ध कर राजस्व में राज्यों की हसिसेदारी क्रमशः 42% और 41% करने की अनुशंसा की, लेकिन सकल कर राजस्व की हसिसेदारी वर्ष 2015-16 में केवल 35% और वर्ष 2023-24 में 30% ही रहा (बजट आकलन के अनुसार)।
 - जबकि केंद्र सरकार का सकल कर राजस्व वर्ष 2015-16 में 14.6 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 33.6 लाख करोड़ रुपए हो गया, केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों की हसिसेदारी 5.1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 10.2 लाख करोड़ रुपए ही हुई।
- राज्यों को सहायता अनुदान में कमी:
 - राज्यों को सहायता अनुदान वर्ष 2015-16 में 1.95 लाख करोड़ रुपए से घटकर वर्ष 2023-24 में 1.65 लाख करोड़ रुपए हो गया। इस प्रकार, केंद्र सरकार के सकल कर राजस्व में सांवधिक वित्तीय हस्तांतरण की संयुक्त हसिसेदारी 48.2% से घटकर 35.32% हो गई।
- उपकर और अधिभार श्रेणियों में बढ़ता कर संग्रह:
 - इस अवधि के दौरान सकल राजस्व में राज्यों की हसिसेदारी घटने का एक कारण यह है कि **उपकर एवं अधिभार** के तहत राजस्व संग्रह, केंद्रशासित प्रदेशों से राजस्व संग्रह और कर प्रशासन व्यय में कटौती के बाद उन्हें शुद्ध कर राजस्व प्राप्त हुआ।
 - इन तीन कारकों में उपकर एवं अधिभार के माध्यम से राजस्व संग्रह सबसे अधिक है और इसकी वृद्धि हो रही है।
 - इस गणना में जीएसटी उपकर शामिल नहीं है जो जून 2022 तक जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राज्यों के राजस्व नुकसान की भरपाई के लिये एकत्र किया जाता है।
- वित्तीय केंद्रीकरण संबंधी चिताईँ:
 - केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को प्रत्यक्ष वित्तीय हस्तांतरण के दो अन्य मार्ग भी हैं, यानी केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (CSS) और केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएँ (CS)।
 - केंद्र सरकार CSS के माध्यम से राज्यों की प्राथमिकताओं को प्रभावित करती है जहाँ केंद्र सरकार आंशिक धन मुहैया करती है, जबकि दूसरा हसिसा राज्यों को देना होता है। दूसरे शब्दों में, केंद्र योजनाओं का प्रस्ताव करता है और राज्य उन्हें लागू करते हैं, साथ ही राज्यों के वित्तीय संसाधनों की प्रतिविद्धता भी तय की जाती है।
 - वर्ष 2015-16 से 2023-24 के बीच 59 CSS के माध्यम से CSS के लिये आवंटन 2.04 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 4.76 लाख करोड़ रुपए हो गया।
 - इस प्रकार, केंद्र सरकार राज्य को कमोबेश उत्तरी ही मात्रा में वित्तीय संसाधन देने के लिये बाध्य करती है।
- समृद्ध बनाम कम समृद्ध राज्यों से जुड़े मुद्दे:
 - CSS की साइदारीपूर्ण योजनाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जो राज्य अकेले राज्य बजट से समान वित्त देने का जोखिम उठा सकते हैं, वे समान स्तर के अनुदान का लाभ भी उठा सकते हैं। यह सार्वजनिक वित्त में अंतर-राज्य इक्विटी के संदर्भ में दो अलग-अलग प्रभाव पैदा करता है।
 - समृद्ध राज्य CSS के कार्यान्वयन के माध्यम से समान वित्त देने और केंद्रीय वित्त का लाभ उठाने का जोखिम उठा सकते हैं।
 - कम समृद्ध राज्यों को इन CSS के लिये अपने उधार लिये हुए वित्त देने होंगे, जिससे उनकी अपनी देनदारियाँ बढ़ जाएँगी। राज्यों के सार्वजनिक वित्त के ये अलग-अलग प्रक्षेपण सार्वजनिक वित्त में अंतर-राज्य असमानता को बढ़ाते हैं, जिसका प्रमुख कारण CSS है।
- संघ सरकार के पास सीमित व्यय उत्तरदायितिवां के साथ बड़ी वित्तीय शक्तियाँ:
 - सांवधिक अनुदान के साथ, सकल कर राजस्व के अनुपात के रूप में कुल वित्तीय हस्तांतरण वर्ष 2023-24 में केवल 47.9% था।
 - सकल कर राजस्व का 50% से अधिक अपने पास बनाए रखने के अलावा, केंद्र सरकार सकल धरेलू उत्पाद के 5.9% की सीमा तक राजकोषीय घाटा उठाती है। इस प्रकार, केंद्र सरकार के पास सीमित व्यय उत्तरदायितिवां के साथ वृहत वित्तीय शक्तियाँ मौजूद हैं।



वित्त का बेहतर हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिये कौन-से कदम उठाए जाने चाहये?

- कर-साझाकरण सदिधांतों पर पुनर्विचार करना: वित्त आयोगों को भारत के बदलते राजकोषीय संघवाद के संदर्भ में कर-साझाकरण सदिधांतों की समीक्षा करने के लिये निर्देशित करने की आवश्यकता है। उनके विचारारथ विषयों (terms of reference) को संघ और राज्यों द्वारा अप्रत्यक्ष कर आधार के समेकन पर सख्ती से संरेखित किया जाना चाहयि।
- अप्रत्यक्ष करों की सांवधिक हसिसेदारी की पुनःअभिकल्पना: ये परविरतन आवश्यक बनाते हैं कि ऊर्ध्वाधर और क्षेतजि दोनों तरह के अप्रत्यक्ष करों की सांवधिक हसिसेदारी का पुनरीक्षण और पुनःअभिकल्पना की जाए।
 - ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण (Vertical Devolution): वर्तमान प्रणाली के साथ ऊर्ध्वाधर साझाकरण के सदिधांत को संरेखित करने के लिये विभाज्य पूल को फरि से परभिति करने के साथ शुरुआत करना आवश्यक है। उदाहरण के लिये, 16वें वित्त आयोग को IGST को पूरी तरह से पूल का हसिसा बनाने के तौर-तरीके निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होगी।
 - क्षेतजि हस्तांतरण (Horizontal Devolution): राज्यों के बीच विभाज्य पूल के वितरण के मानदंडों पर फरि से विचार करना होगा। मौजूदा मानदंड, विशेष रूप से अनुदान को समान स्तर पर रखने के लिये, उत्पादन-आधारति कर प्रणाली में विकसित हो गए हैं। उपभोग-आधारति कर प्रणाली के लिये इसे फरि से अभिकल्पना या डिजिटल करने की आवश्यकता है।
- संग्रहण की लागत की गणना एवं आवंटन: जीएसटी के नए प्रशासन, जहाँ संघ और राज्य दोनों समान कर एकत्र करते हैं, के परणिमस्वरूप कर संग्रहण की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि और व्यापक भनिन्ता उत्पन्न हुई है। यह लागत 7% से 10% तक होती है।
 - इस परदृश्य में, आगामी वित्त आयोग को अप्रत्यक्ष करों को संग्रहति करने की लागत की गणना एवं आवंटन के लिये एक विधिकी अनुशंसा करने का कार्य सौंपा जाना चाहयि।
 - इसके अतिरिक्त, उन्हें इन करों को कम करने और उनकी संग्रह दक्षता में सुधार करने के तरीके भी सुझाने चाहयि।
- अनुदान तंत्र को नया स्वरूप प्रदान करना: वर्ष 1935 में ब्राटिश बैंकर ओटो नीमियर (Otto Niemeyer) द्वारा प्रकल्पित 'अंतराल-पूरती' दृष्टिकोण ('gap-filling' approach), जिसे संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत जारी रखा गया, को जीएसटी प्रबिद द्वारा लाए गए मुआवजा कानून के आलोक में फरि से डिजिटल करना चाहयि।
 - जीएसटी क्षतपूरती अनुदान के 31 मार्च 2026 तक बढ़ाए जाने के साथ, उसके बाद का वित्तीय वर्ष 16वें वित्त आयोग के लिये आधार वर्ष होगा और यह 2027 से 2032 तक प्रभावी रहेगा।
 - यह बेहद स्पष्ट है कि प्रत्येक राज्य क्षतपूरती योजना के विस्तार की मांग करेगा। इसलिये, क्षतपूरती की आवश्यकता (जिसका सरवप्रमुख कारण है जीएसटी की ओर संकरण से हुए नुकसान की भरपाई करना) की जाँच का कार्य 16वें वित्त आयोग को सौंपना उपयुक्त होगा।
- संघीय वित्त की नई संस्थागत संरचना: नई संघीय वित्त संस्थागत संरचना में [जीएसटी प्रबिद](#) और वित्त आयोग के बीच एक औपचारिक संबंध होना चाहयि क्योंकि वे ही विभाज्य पूल का आकार तय करते हैं और इसे वितरित करते हैं।
 - वित्त आयोगों को इस बात की जाँच करनी चाहयि कि जीएसटी प्रबिद उस अवधि के दौरान अपनी अनुशंसा के कार्यान्वयन की निशानी के लिये राजकोषीय प्रबिद के रूप में कैसे कार्य कर सकती है जब यह कार्यशील नहीं हो।

निष्कर्ष:

14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अवधि की शुरुआत के बाद से केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण में महत्वपूर्ण कमी, विशेष रूप से हस्तांतरण में 42% की अनुशंसा वृद्धि को देखते हुए, चिन्ताजनक है।

केंद्र सरकार के सकल कर राजस्व में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद, राज्यों को आवंटित हसिसेदारी में आनुपातिक वृद्धि नहीं हुई है। CS और CSS पर निभरता अंतर-राज्य असमानता को आगे और बढ़ाती है तथा वित्तीय प्रबंधन में राज्य की स्वायत्तता को कम करती है।

यह परदृश्य न केवल [सहकारी संघवाद](#) को कमज़ोर करता है बल्कि भविष्य में राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के समतामूलक वितरण के बारे में भी चिन्ता पैदा करता है।

अभ्यास प्रश्न: भारत में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को होने वाले कम वित्तीय हस्तांतरण के, राजकोषीय संघवाद पर प्रभाव का विश्लेषण करते हुए इसके निहितार्थों की चरचा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा पछिले वर्ष के प्रश्न (PYQ)

?????????????????

प्रश्न. निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिये: (2018)

1. छलिका उत्तरा हुआ अनाज
2. मुर्गी के अंडे पकाए हुए
3. संसाधन और डिब्बाबंद मछली
4. विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र

उपर्युक्त मदों में से कौन-सा/से GST (वस्तु और सेवा कर) के अंतर्गत छूट प्राप्त है/हैं?

(a) केवल 1

- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1, 2 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: c

प्रश्न. 'वस्तु एवं सेवा कर (GST)' को लागू करने के सबसे संभावित लाभ क्या हैं/हैं? (2017)

1. यह कई प्राधिकरणों द्वारा एकत्र कये गए वभिन्न करों की जगह लेगा और इस प्रकार भारत में एकल बाजार स्थापित करेगा।
2. यह भारत के 'चालू खाता घाटा' को काफी कम कर देगा और इसे अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में सक्षम बनाएगा।
3. यह भारत की अरथव्यवस्था के विकास और आकार में अत्यधिक वृद्धि करेगा एवं नकिट भविष्य में इसे चीन से आगे नकिलने में सक्षम बनाएगा।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

प्रश्न: स्थानीय स्वशासन को एक अभ्यास के रूप में सर्वोत्तम रूप से समझाया जा सकता है। (2017)

- (a) संघवाद
- (b) लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
- (c) प्रशासनिक प्रतनिधिमिंडल
- (d) प्रत्यक्ष लोकतंत्र

उत्तर: (b)

प्र. निम्नलिखित में से कौन-सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? (2017)

- (a) भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है।
- (b) शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से वभाजित किया गया है।
- (c) संघ की इकाइयों को राज्य सभा में असमान प्रतनिधित्व दिया गया है।
- (d) यह संघबद्ध इकाइयों के बीच एक समझौते का परणिम है।

उत्तर: (a)